

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं025(2)चि.स्वा./2/2018

जयपुर, दिनांक: 08.07.2019

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।

विषय:- राजभवन चिकित्सालय में सिटी डिस्पेंसरी अन्तर्गत पदों को कमोन्नत किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है राजभवन चिकित्सालय, जयपुर में सिटी डिस्पेंसरी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या को यथावत रखते हुये रिक्त पदों में से 01 चिकित्सा अधिकारी के पद को वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) एवं नर्स श्रेणी ग्रेड-द्वितीय के 01 पद को नर्स श्रेणी-प्रथम पर कमोन्नत किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 151900466 दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक,माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज0 जयपुर।
5. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. उप सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्यपाल सचिवालय, राज0 जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम।
10. एकल पत्रावली डी-313 दिनांक 23.05.2019
11. रक्षित पत्रावली

(रामेश्वर लाल चौधरी)  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

कमाक.एफ(81 पार्ट द्वितीय)/योजना/विकास/2019/ 493

दिनांक.— 25 7 19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, उप सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्यपाल राधिकालथ, राजभवन, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) मुख्यालय।
3. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
4. कनिष्ठ विशेषज्ञ/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (मेडिसिन), राजभवन चिकित्सालय, जयपुर (राजा0)
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम।
6. प्रभारी, सर्वररुग मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को संबंधित अधिकारियों एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (योजना)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर